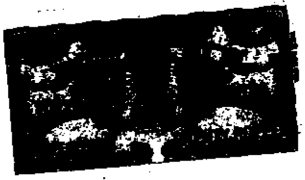

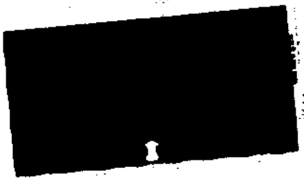

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर R 651-I-17

1– मनोज कुमार रेकवार पुत्र श्री पूरन लाल रेकरवा निवासी–ग्राम बगौता तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)

2– सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री शारदा प्रसाद द्विवेदी निवासी – महाराणा प्रताप नगर गली नं. 2 सटई रोड, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री ____ द्वारा आज दि. 13.2.17 को ____ 13.2.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– रमेश कोरी पुत्र श्री मुल्लू कोरी निवासी – ग्राम खरगापुर तहसील खरगापुर जिला– टीकमगढ़ (म.प्र.)

2– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

13/2/17

न्यायालय तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/अ–6/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 28.01.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 651-एक/17 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह०
4-10-17	यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्र0 क0 76 अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनॉक 28-1-2017 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनॉक 28-1-2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने आवेदकगण का विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन इस आदेश से अनुपस्थित के कारण एंव आवेदन विधिसंगत न होने के आधार पर निरस्त किया है जिसके कारण तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरुप का है जिसके विरुद्ध आवेदक के पास मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। आवेदकगण चाहें , इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी विचार योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	